राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प. 14(7)चिस्वा/2/2016 जयपुर, दिनांक : -02-07-18

परिपत्र

औषधि नियंत्रण संगठन में कार्यरत औषधि नियंत्रण अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं एवं औषधि नियंत्रण संगठन की कार्यप्रणाली/कार्यव्यवस्था के पुनरावलानेकन हेतु अति. मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.18 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों के मध्यनजर औषधि नियंत्रक द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 02.03.15 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. औषधि नियंत्रण अधिकारी प्रत्येक निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित करेगें कि औषधियों का संग्रहण, क्रय–विक्रय एवं वितरण अधिनियमानुसार रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट/कम्पीटेन्ट व्यक्ति द्वारा या उसके व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में ही हो रहा है।
2. रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट/कम्पीटेन्ट व्यक्ति की अनुपस्थिति में अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जा रहे अवैध क्रय–विक्रय का उल्लेख निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज करेगें एवं सम्बन्धित बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपि रिकॉर्ड पर लेना सुनिश्चित करेगें साथ ही भी यह सुनिश्चित करेगें कि प्रत्येक औषधि विक्रेता द्वारा एन.डी.पी.एस, अनुसूची–एच एवं अनुसूची एच–1 की औषधियों का क्रय–विक्रय विवरण रखा जा रहा है तथा खुदरा विक्रेता द्वारा अनुसूची एच–1 एवं एन्टी टी. बी. औषधियों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में रजिस्टर संधारित किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहायक औषधि नियंत्रक को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।
3. औषधि नियंत्रण अधिकारी खुदरा एवं थोक औषधि विक्रेताओं के प्रतिमाह कम से कम 20 निरीक्षण अपने स्तर से किये जाने की सुनिश्चितता करेगें। जिनमें नये लाईसेन्स हेतु किये गये निरीक्षण सम्मिलित नही होगें। सभी औषधि नियंत्रण अधिकारी उन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण प्राथमिकता के साथ करेगें जिनका पिछले 3 वर्ष मे कभी भी निरीक्षण नही हुआ हो। ऐसे प्रतिष्ठानों के निरीक्षण हेतु सहायक औषधि नियंत्रक भी निर्देश प्रदान कर सकेगें। निरीक्षण चक्र पूर्ण होने या उच्चाधिकारियों के निर्देशों या शिकायत प्राप्त होने पर ही किसी प्रतिष्ठान का पुनः निरीक्षण किया जा सकेगा।
4. दुकानों/प्रतिष्ठानों के खुलने के सामान्य समय में ही निरीक्षण किये जावेगें तथा विशेष परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों की अनुमति से कभी भी निरीक्षण किये जा सकेगें।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. औषधि नियंत्रक–प्रथम/द्वितीय, औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन।
4. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, औषधि नियंत्रण संगठन।
5. सर्वर रूम, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव